सरयू राय
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
झारखण्ड विधान सभा

आवास :
- एफ. टाईप आवास सं.–1, PWD (IB)
  ए.जी. मोड़, डोरण्डा, राँची–834002
- एल. 4/1, कदानी रोड, बारीडीह,
  जमशेदपुर – 831017

दूरभाष : 0651–2480045, 0657–2249255
मोबाईल नं. : 9431114466
ई–मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : 261/BIS/24 दिनांक : 30-06-24

सेवा में,
उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय : सूर्य मंदिर परिसर, सिदगोड़ा, जमशेदपुर के बाहर की सरकारी जमीन पर मेरे विधायक निधि से स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :–

1) सिदगोड़ा, जमशेदपुर में अवस्थित सूर्य मंदिर परिसर की बाउंड्री वाल (चाहरदीवारी) सांसद निधि से वर्ष 2020–21 में निर्मित हुआ (अनु.–1)।

2) इस बाउंड्री वाल को सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने दिनांक 12.04.2024 को ध्वस्त कर दिया। इस बारे में विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने सिदगोड़ा थाना प्रभारी को दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के लिए दिनांक 15.04.2024 को एक पत्र लिखा (अनु.– 2)।

3) इस बाउंड्री वाल के बाहर की सरकारी जमीन पर विभिन्न मदों की सरकारी निधि से करीब 52 विकास परियोजनाएँ विगत दिनों क्रियान्वित की गईं, जिन्हें जेएनएसी ने सरकारी आदेश से हस्तगत कर लिया है। इन परिसम्पतियों में सूर्य मंदिर उद्यान, जिसे अब शंख मैदान कहा जाता है तथा इसके समीप बने दो बड़े तालाब शामिल हैं। इन परिसम्पतियों के रखरखाव के लिए उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने एक संचालन समिति का गठन किया (अनु.– 3)।

4) सूर्य मंदिर उद्यान, तालाबों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण उप विकास आयुक्त, जमशेदपुर के ज्ञापांक 435/वि. जम., दिनांक 25.05.2010 के अनुसार पर्यटन विभाग, झारखण्ड सरकार से प्राप्त रू. 17,87,700/– के योजना परिव्यय आवंटन से किया गया (अनु.–4)।

5) पुनः इनका सौन्दर्यीकरण कार्य पर्यटन विभाग की निधि (रू. 98,73,975/–) से वर्ष 2015–16 में किया गया (अनु.–5)।

6) इसी कड़ी में मैंने अपने विधायक निधि से शंख मैदान और दो बड़े तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं बच्चों के लिए सिंगल पैडल बोटिंग के लिए मेरे विधायक निधि से करने के लिए एक प्रस्ताव उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा, जिसकी स्वीकृति होकर क्रियान्वयन के लिए निधि विमुक्त हो गई (अनु.–6)।

7) इसी बीच सूर्य मंदिर परिसर एवं शंख मैदान (पूर्ववर्ती सूर्य उद्यान) के बीच निर्मित बाउंड्री वाल को सूर्य मंदिर समिति के लोगों ने ध्वस्त कर दिया, ताकि वे शंख मैदान और तालाब सहित समीपवर्ती अन्य संरचनाओं पर अवैध कब्जा कर सके (अनु.–2 द्रष्टव्य)।

उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम द्वारा गठित एक जाँच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सूर्य मंदिर सहित आसपास की समस्त संरचनाओं का निर्माण करीब 52 योजनाओं के मद में स्वीकृत सरकारी धनराशि से हुई हैं, जिनमें शंख मैदान, दो तालाब, चिल्ड्रेन पार्क, बच्चों के लिए स्वीमिंग पूल शामिल हैं। जिस भूखण्ड पर ये संरचनाएँ निर्मित हैं, वह करीब 06 एकड़ से अधिक का है। इस भूखंड के एक छोर पर सूर्य मंदिर बना है, जो परिवहन विभाग की जमीन पर बना है और जिसके निर्माण में बड़ी मात्रा में सरकारी निधि व्यय हुई है। इस भूखंड के दूसरे छोर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके श्री चन्द्रगुप्त सिंह नामक एक व्यक्ति ने अवैध भवन का निर्माण कर लिया है। श्री चन्द्रगुप्त सिंह सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक भी है। ये चाहते हैं कि जिस तरह सूर्य मंदिर समिति के अध्यक्ष, श्री भूपेन्द्र सिंह बाउंड्री तोड़कर शंख मैदान की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे है और वहाँ मेरे द्वारा विधायक निधि से विकास कार्य न हो इसके लिए 11 दिनों का धार्मिक अनुष्ठान शुरू कर

दिया है। उसी तरह श्री चन्द्रगुप्त सिंह भी चाहते हैं कि उनके अवैध भवन के सामने की बाउंड्री तोड़कर वे भी 6 एकड़ के भूखंड पर कब्जा कर लें।

महोदय, आप भलीभांति अवगत हैं कि मेरे विधायक निधि से स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विगत 10 महीने में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) और जिला प्रशासन ने कई प्रयत्न किए। यहाँ तक की मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी हुई, परन्तु सूर्य मंदिर के अध्यक्ष, श्री भूपेन्द्र सिंह और इसके संरक्षक, श्री चन्द्रगुप्त सिंह यहाँ विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं। इनकी नीयत है कि सूर्य मंदिर और श्री चन्द्रगुप्त सिंह के अवैध भवन के बीच स्थित 6 एकड़ भूखंड पर ये कब्जा कर लें। उल्लेखनीय है कि यह भूखंड सरकारी है और इस पर निर्मित संरचनाएँ सरकारी निधि से बनी है।

स्मरणीय है कि पहले भी सूर्य मंदिर समिति शंख मैदान (सूर्य उद्यान) में जाने के लिए पाँच रूपये का प्रवेश शुल्क वसूलती थी। चिल्ड्रेन पार्क में जाने के लिए भी पाँच रूपये का अवैध प्रवेश शुल्क ये लोग वसूलते थे (अनु.–7)। मेरे हस्तक्षेप से यह वसूली वर्ष 2022 में बन्द हो गई। इस परिसर में सरकारी निधि से निर्मित सोन मंडप और यात्री निवास पर भी वर्ष 2021 तक इन लोगों का कब्जा था। यहाँ होनेवाले कार्यक्रमों के लिए ये लोग अवैध रूप से वसूली करते थे। बाद में दबाव देने पर इन्होंने अवैध रूप से अपना बैंक खाता में इस मद से अवैध जमा राशि का शेष 13,59,476 रूपया बैंक ड्राफ्ट से जेएनएसी को वापस किया (अनु.–8)।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने झारखण्ड विधानसभा को 2021 में सौंपे गये अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि इन परिसम्पतियों का अवैध संचालन निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है (अनु.–9)। सूर्य मंदिर समिति के श्री चन्द्रगुप्त सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह आदि चाहते हैं कि इस भूखण्ड पर कब्जा कर वे पुनः इसका व्यवसायिक इस्तेमाल करें। इसके लिए वे सूर्य मंदिर की आड़ ले रहे हैं।

सूर्य मंदिर समिति के अवैध कार्यकलाप को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने एनजीओ के रूप में इनका पंजीयन समाप्त करने का आग्रह निबंधक, महानिरीक्षक से किया जिस पर महानिरीक्षक ने तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित कर दिया है, जिसमें उपायुक्त के प्रतिनिधि भी शामिल है (अनु.–10)। इसके पूर्व सूर्य मंदिर समिति ने चिल्ड्रेन पार्क को

अन्यत्र स्थानांतरित करने की साजिश किया, जिसके विरूद्ध उपायुक्त के निदेशानुसार प्राथमिकी दर्ज है (अनु.–11)। इतना ही नहीं इन्होंने यहाँ मेरे विधायक निधि से निर्मित बच्चों के स्वीमिंग पुल को भी विनष्ट करने की साजिश की, जिसकी प्राथमिकी दर्ज है (अनु.–12)।

आपसे अनुरोध है कि आप मेरे विधायक निधि से स्वीकृत उपर्युक्त योजनाओं को इस भूखंड पर शीघ्र क्रियान्वित करायें, सूर्य मंदिर का विधिवत संचालन के लिए झारखण्ड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से आग्रह करें, सूर्य मंदिर समिति का निबंधन रद्द कराने के लिए कार्रवाई करें और इस भूखंड के एक छोर पर बने श्री चन्द्रगुप्त सिंह के अवैध भवन की जाँच कराकर इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करें।

भवदीय

(सरयू राय)